[2018] 9 एस. सी. आर 496

शिवाजी एवं अन्य

प्रति

डिविजनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य

(सिविल अपील सं. 2816 सन2018)

अगस्त 09,2018

[दीपक मिश्रा, मुख्य न्यायमूर्ति, ए. एम. खानविलकर और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्तिगण]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 -s.163A-घातक दुर्घटना-एक कार ने एक ट्रक को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप वाहन के चालक सहित तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए, वे सभी कार में यात्रा कर रहे थे-अपीलार्थीगण, मृतक चालक के माता पिता, द्वारा दायर धारा 163ए के अंतर्गत दावा याचिका दायर की गई--न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार की गई-किंतु उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि मृतक चालक अपकृत्यकर्ता था और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था, इसलिए मुआवजा नहीं दिया जा सकता था और बीमाकर्ता को दायित्व से मुक्त कर दिया गया -अपील में कहा गयाः बीमाकर्ता धारा163 A के अंतर्गत कार्रवाई में दावे का विरोध करने के लिए, मृतक की ओर से लापरवाही का बचाव नहीं ले सकता- । धारा163क के अंतर्गत कार्यवाही में इस तरह का बचाव लेने की अनुमति सेअधिनियम की धारा 163A के अंतर्गत कार्रवाई अधिनियम की धारा 166 की कार्यवाही के समतुल्य हो जाएगी जो कि विधायी आशय से असंगत होगा-बीमाकर्ता को दोषमुक्त करने

वाले उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को अपास्त कर दिया गया और न्यायाधिकरण के आदेश को बहाल कर दिया गया।

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामसुनील कुमार और अन्य।

ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 5710-पर निर्भर किया

<u>विधिक निर्णय संदर्भ</u>

ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 5710 पैरा 5 पर निर्भर किया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:

सिविल अपील संख्या 2816सन2018

एम. एफ. ए. No.20469/2012 (एम. वी.) में कर्नाटक उच्च न्यायालय,धारवाड़ पीठ केनिर्णय एवं आदेश दिनांकित 5.06.2017 से।

मंजूनाथ मेलेड, सुश्री विजयलक्ष्मी यू. (श्री अनिल कुमार के लिए), राजेश कुमार गुप्ता, सुश्री मीनाक्षी मिधा, कपिल मिधा, सुश्री अभिवंदन चौधरी, अधिवक्ता उपस्थित पक्षों के लिए।

शिवाजी और अन्य प्रति डिविजनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य

न्यायालय का निर्णय न्याय. डॉ डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा दिया गया

न्याय.डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़,

1.वर्तमान अपील मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एम. ए. सी. टी.), बेलगाम के एक फैसले के खिलाफ एक अपील में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से उत्पन्न हुई।

2. अपीलार्थीगण, शाजी शिवाजी दुधाडे के माता-पिता हैं, जो पंजीकरण संख्या एम एच 06/डब्ल्यू-604 वाली कार के चालक थे, जो 15 जून 2010 को दुर्घटना ग्रस्त हुई।दुर्घटना तब हुई जब कार ने पंजीकरण संख्या ए-25/बी 5363 वाले ट्रक को टक्कर मार दी। जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई; दो अन्य व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दो अन्य व्यक्ति घायल हो गए, जो सब कार में यात्रा कर रहे थे।

3. अपीलार्थीगण ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163ए के तहत मुआवजे की मांग करते हुए एक दावा याचिका दायर की।न्यायाधिकरण ने कहा कि चूंकि दावा याचिका अधिनियम की धारा 163ए के तहत दायर की गई थी, इसलिए यह साबित करने का सवाल ही नहीं उठता कि दुर्घटना चालक की लापरवाही और लापरवाही के कारण हुई थी।न्यायाधिकरण ने 30 जुलाई 2011 के अपने निर्णय द्वारा 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ ₹ 4,69’000/- रुपये के दावे की अनुमति दी।

4. बीमाकर्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की।अपीलार्थीगण ने भी उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की जिसमें न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को बढ़ाने की मांग की गई।उच्च न्यायालय ने अपने प्रश्नगत फैसले से बीमाकर्ता की अपील को स्वीकार कर लिया और न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया।उच्च न्यायालय का विचार था कि धारा 163ए को लागू करने के पीछे यह सुनिश्चित करने का विचार है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक की ओर से किसी भी गलती के अभाव में भी, घायल व्यक्ति या मृतक व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों को मालिक और बीमाकर्ता द्वारा मुआवजा दिया जाए। परिणामस्वरूप, इस प्रावधान के तहत, चूंकि पीड़ित को एक निर्दोष तृतीय पक्ष माना गया है, इसलिए सुरक्षा केवल घायल व्यक्ति या मृतक पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारियों को दी जाती है, न कि उस चालक को जो उक्त दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है।चूंकि इस

मामले में मृतक चालक अपकृत्यकर्ता था और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था, इसलिए उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलार्थीगण को मुआवजा नहीं दिया जा सकता था।

5. हमारे सामने जो प्रश्न है वह अब अनिर्णीत विषय नहीं है और यूनाईटेड इंडिया इन्शुरन्स कं लि प्रति सुनील कुमार एवं अन्य (ऐ आई आर 2017 एस सी 5710) में इस न्यायालय के नवीनतम, तीन न्यायमूर्तिगण की पीठ के निर्णय में शामिल है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि बीमाकर्ता को, दावेदार की लापरवाही के बचाव की अनुमति देना और/या अधिनियम की धारा 163ए को ऐसी स्थिति के परिणामस्वरूप लागू समझना, इस प्रावधान को लागू करने के पीछे के विधायी उद्देश्य के साथ असंगत होगा, जो कि "उन स्थितियों को दूर करने के लिए संरचित सूत्र के आधार पर एक सीमित समय सीमा के भीतर अंतिम मुआवजा देना है, जहां त्रुटि दायित्व के आधार पर मुआवजे के दावों में अत्यधिक लंबा समय लग रहा था।" है।न्यायालय ने कहा कि यदि किसी बीमाकर्ता को अधिनियम की धारा 163ए के तहत लापरवाही का बचाव लेने की अनुमति दी जाती है, तो वह "अधिनियम की धारा 163ए के तहत कार्यवाही को अधिनियम की धारा 166 के तहत कार्यवाही के समतुल्य लाएगा जो न केवल स्व-विरोधाभासी होगा, बल्कि विधायी उद्देश्य को भी विफल कर देगी।"परिणामस्वरूप यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 163ए के अन्तर्गत कार्यवाही में, बीमाकर्ता मुआवजे के दावे का विरोध करने के लिए पीड़ित की ओर से लापरवाही का कोई बचाव नहीं ले सकता ।

6. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, दीवानी अपील स्वीकार करनी होगी।

7. तदनुसार, अपील स्वीकार जाती है।बीमाकर्ता को दायित्वमुक्त करने वाले उच्च न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय को अपास्त जाता है और न्यायाधिकरण

के आदेश को पुनर्स्थापित किया जाता है। वादव्ययके बारे में कोई आदेश नहीं।

अपील स्वीकार की गई।

1. आकाशवाणी 2017 एससी 5710